



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

देवसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1847 SEIAA/2022

Date: 18/10/22

प्रति,

श्री अविराम शुक्ला,

आत्मज श्री राजेश शुक्ला,

निवासी शुक्ला सदन, वार्ड न. -7 रतनगंज मोहल्ला,

राइवल इग्लिश स्कूल के पास विजावर जिला छतरपुर (म.प्र.)

विषय:-प्रकरण क्र 8576/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अविराम शुक्ला आत्मज श्री राजेश शुक्ला, निवासी शुक्ला सदन, वार्ड न. -7 रतनगंज मोहल्ला राइवल इग्लिश स्कूल के पास विजावर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकार्स सेमी मैकेनाईज़ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.180 हेक्टेयर, खसरा 152/1 ग्राम नयागाँव, तहसील विजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण की 750 वी बैठक दिनांक 13.10.2022 पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

.... उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 05 पेड़ लगे हैं जिनको काटा जायेगा एवं उसके एवज् 50 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायेंगे।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव